चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/3589
दिनांक : 17.03.2021

विज्ञप्ति

सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त परम्परागत पाठ्यक्रमों के परास्नातक स्तर (एम0ए0, एम0काम0, एम0एस–सी0, एम0एस–सी0 कृषि एवं एल0एल0एम0) के सत्र 2020–21 की विषम सेमेस्टर (दिसम्बर–2020) केवल प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातक स्तर पर बी0एस–सी0 (कृषि), बी0एस–सी0 (गृह विज्ञान) एवं एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रमों के सत्र 2020–21 की विषम सेमेस्टर (दिसम्बर–2020) केवल प्रथम सेमेस्टर तथा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों (AICTE से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) के सत्र 2020–21 की विषम सेमेस्टर (दिसम्बर–2020) केवल प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं की मुख्य परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा/भूतपूर्व छात्रों के परीक्षा फार्म माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.ccsuniversity.ac.in** एवं **www.ccsuweb.in** पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी द्वारा भरवाये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 17.03.2021 निर्धारित थी।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार परीक्षा फार्म भरने से वंचित सन्दर्भित पाठ्यक्रमों के केवल प्रथम सैमेस्टर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिन्होंने अभी तक परीक्षा फार्म नहीं भरा है, अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए तिथियाँ दिनांक 20.03.2021 तक पुनः विस्तारित की जाती है।

<u>ऑन–लाईन परीक्षा फार्म भरने की निर्धारित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :–</u>

01.	छात्र/छात्राओं के परीक्षा फार्म वेबसाईट पर उपलब्ध होने की तिथि	17.02.2021
02.	छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन–लाईन भरने की तथा ऑन–लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की पुनरीक्षित अन्तिम तिथि	20.03.2021
03.	समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों सहित परिपूर्ण परीक्षा फार्म महाविद्यालय/संस्थान में जमा कराने एवं सत्यापन कराये जाने की अन्तिम तिथि	22.03.2021
04.	महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सत्यापित करने के पश्चात परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि	24.03.2021

नोट :–
1. समस्त छात्र/छात्रायें परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध सेमेस्टर पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त नियमों का भली–भाँति अध्ययन करने के पश्चात् ही परीक्षा फार्म भरा जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त छात्र/छात्राओं को अपना मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (**Migration Certificate**) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर/अन्य विश्वविद्यालय से प्राप्त) परीक्षा फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सन्दर्भित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
3. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/समन्वयक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान/परिसर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से अनुरोध है कि परीक्षा फार्म के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (**Migration Certificate**) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर/अन्य विश्वविद्यालय से प्राप्त) अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें एवं प्रवजन प्रमाण–पत्र (**Migration Certificate**) संलग्न करने वाले छात्र से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति प्रपत्र भी देना सुनिश्चित करें।
4. ऐसे पाठ्यक्रमों जिनमें पुनः बैक परीक्षा देने की सुविधा विश्वविद्यालय नियमों में अनुमन्य है, ऐसे छात्र/छात्राओं के पुनः बैक परीक्षा फार्म जमा करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित छात्र/छात्रा ने उन्हीं कोडों की पुनः बैक परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म भरा है, जिनमें वह पूर्व में बैक पेपर परीक्षा हेतु सम्मिलित हो चुका है। अर्थात किसी भी छात्र/छात्रा को, कोड परिवर्तन कर पुनः बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है।
5. विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो सेमेस्टरों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होगा।
6. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एम0फिल0 पाठ्यक्रम के केवल भूतपूर्व छात्र/बैक पेपर परीक्षा के ही परीक्षा फार्म भरवाये जायेंगे।

17/03

सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ तथा समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, वि0वि0 परिसर, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली–भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान/विभाग का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक–प्रति कुलपति को, माननीय प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक–परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
06. वैयक्तिक सहायक–वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
07. लेखाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
08. उप कुलसचिव/सहा0 कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल/अति गोपनीय विभाग)।
09. विश्वविद्यालय पूछताछ केन्द्र/सूचना पट।
10. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
11. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत कम्पनी, को इस आशय के साथ कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार एवं उपरोक्तानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त सन्दर्भित विज्ञप्ति छात्र/छात्रा को परीक्षा फार्म भरने के साथ ही उपलब्ध हो।

सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)